12/04/23 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन अवलोकन किया गया। अध्ययन व अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी नं. 01 को वादग्रस्त आराजी के भाग पर मुतदाखिया कब्जा बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है एवं प्रतिवादी नं. 01 का कब्जा अतिक्रमण की तरह में साबित होने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 रा Act 1955 के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाकर शामिल पत्रावली हो। तहसीलदार रेवदर को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Noted.

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर